रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1976/फाल्गुन 4, 1897

No. 65] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1976/PHALGUNA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd February 1976

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (6) of clause (d) of sub-item (i) of Item No. 72A of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby notifies "Salaya-Koyali-Mathura Crude Oil Pipeline Project" as a project for the purpose of assessment under the said Item

[No. 18/F. No 370/59/74-Cus.I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 92 (**अ**).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 72क की उपमद (i) के खण्ड (घ) के उपखण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए, "सलाया-कोयाली-मथुरा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन परियोजना" को उक्त मद के अधीन निर्धारण के प्रयोजनार्थ परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं० 18/का० सं० 370/59/74-सीमाशुल्क-I]

एम० जयरामन, अवर सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976